

# जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, गुमला (प्रशिक्षण कोषांग)

## विधानसभा निर्वाचन 2019 प्रशिक्षण कार्यक्रम

विधानसभा निर्वाचन 2019 के सफल संचालन हेतु प्रतिनियुक्त पीठासीन/प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों द्वितीय एवं तृतीय चरण का विधान सभावार तथा पार्टीवार जिला स्तरीय प्रशिक्षण निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

### 1. तृतीय चरण 68-गुमला एवं 69-बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र

दिनांक	प्रशिक्षण स्थल	प्रथम पाली	द्वितीय पाली
		पूर्वा 10:00 से 1:00 बजे अप 0 तक	अप 0 2:00 बजे से 5:00 बजे अप 0 तक
24.11.2019	एस0 एस0 +2 उच्च विद्यालय, गुमला	68-गुमला विधान सभा - पार्टी संख्या 01 से 115	68-गुमला विधान सभा - पार्टी संख्या 116 से 230
25.11.2019	एस0 एस0 +2 उच्च विद्यालय, गुमला	68-गुमला विधान सभा - पार्टी संख्या 231 से शेष सभी	69-बिशुनपुर विधान सभाक्षेत्र - पार्टी संख्या 01 से 128
26.11.2019	एस0 एस0 +2 उच्च विद्यालय, गुमला	69-बिशुनपुर विधान सभाक्षेत्र - पार्टी संख्या 129 से 256	69-बिशुनपुर विधान सभाक्षेत्र - पार्टी संख्या 257 से शेष सभी

### 2. द्वितीय चरण 67- सिसई विधानसभा क्षेत्र

दिनांक	प्रशिक्षण स्थल	प्रथम पाली	द्वितीय पाली
		पूर्वा 10:00 से 1:00 बजे अप 0 तक	अप 0 2:00 बजे से 5:00 बजे अप 0 तक
27.11.2019	एस0 एस0 +2 उच्च विद्यालय, गुमला	67-सिसई विधान सभा - पार्टी संख्या 01 से 90	67-सिसई विधान सभा - पार्टी संख्या 91 से 180
28.11.2019	एस0 एस0 +2 उच्च विद्यालय, गुमला	67-सिसई विधान सभा - पार्टी संख्या 181 से 270	67-सिसई विधान सभा - पार्टी संख्या 271 से 366

### 3. तृतीय चरण 67- सिसई विधानसभा क्षेत्र

दिनांक	प्रशिक्षण स्थल	प्रथम पाली	द्वितीय पाली
		पूर्वा 10:00 से 1:00 बजे अप 0 तक	अप 0 2:00 बजे से 5:00 बजे अप 0 तक
02.12.2019	एस0 एस0 +2 उच्च विद्यालय, गुमला	67-सिसई विधान सभा - पार्टी संख्या 01 से 90	67-सिसई विधान सभा - पार्टी संख्या 91 से 180
03.12.2019	एस0 एस0 +2 उच्च विद्यालय, गुमला	67-सिसई विधान सभा - पार्टी संख्या 181 से 270	67-सिसई विधान सभा - पार्टी संख्या 271 से 366

### निदेश :-


1. सभी संबंधित कर्मी निर्धारित तिथि को ससमय प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी कर्मी मतदान प्रक्रिया सहित EVM/VVPAT का Hands On Trainning भली भांति लेना सुनिश्चित करेंगे।
3. सभी कर्मी प्रशिक्षण के क्रम में सभी आवश्यक प्रपत्रों के संधारण का भली-भांति प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर RP ACT 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
5. सभी मतदान कर्मी प्रशिक्षण तिथि को ही Postal Ballot हेतु स्थापित Facilitation Center में अपना मत देना सुनिश्चित करेंगे।

ह/—  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह- उपायुक्त, गुमला।

ज्ञापांक 548 / प्र0को0

दिनांक 21.11.19

- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी/प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रधानाध्यापक एस0एस0उच्च विद्यालय, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि को विद्यालय के सभी कमरों सहित विद्यालय का सभागार प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- गुमला जिला अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/केन्द्रीय /केन्द्रीय उपक्रम/बैंक के कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- Ballot Paper/ EDC कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण स्थल/Facilitation Center पर मतदान कर्मियों को PostalBallot Paperके माध्यम से मतदान कराने संबंधी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हॉड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप निर्वाचन पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रशिक्षण स्थल पर 30 सेट EVMमशीन, सॉउण्ड सिस्टम, पेयजल एवं चाय बिस्कुट तथा प्रशिक्षकों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।EVM/VVPATसेट अनिवार्य रूप से सही स्थिति में होना चाहिए।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 68-गुमला/अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया -सह-निर्वाची पदाधिकारी, 67-सिसई एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला-सह-निर्वाची पदाधिकारी 69-बिशुनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। यदि आवश्यक हो, तो प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को अपने स्तर से भी आवश्यक निदेश देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह- उपायुक्त, गुमला।